मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–एफ–3 / 22 / 2012 / 32 भोपाल, दिनांक / 12 / 2015

प्रति,

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :– जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण ।

उपरोक्त विषय में विभागीय सुचना की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना का साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियॉ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न :यथोपरि

378 / TC
12/01/16.

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक–एफ–3 / 22 / 2012 / 32 भोपाल, दिनांक ~~/ 12 / 2015~~ 7-1-16

प्रतिलिपिः–

आयुक्त सह सचांलक नगर तथा ग्राम निवेश की और आदेश की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि शासन केन्द्रीय मुद्रणालय से 10 प्रतियॉ राजपत्र की प्राप्त कर 5 प्रतियॉ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एव पर्यावरण विभाग

78
12/1/16
TC

12.1.16

ADM(A)

कृ. website पर प्रकाशन करावें आज ही ।

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
// सूचना //

भोपाल, दिनांक 7-1-/2016

क्रमांक–एफ–3–22/2012/बत्तीस :– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक–एफ–3/22/2012/32, दिनांक 27/5/2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :–

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल एकड़ में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम जिलहरी	73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 78/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 81/2, 81/1, 84/1, 14/1, 15/1, 16/1,	7.736 हेक्टेयर	कृषि परिवहन एवं संवहन तथा मार्ग (45 मीटर मार्ग)	आवासीय
		योग–	7.736 हेक्टेयर		

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रू. 3,94,53,600,/–(रूपये तीन करोड़ चौरानवे लाख त्रेपन हजार छः सौ रूपये मात्र) दिनांक 24/12/2015 को भारतीय स्टेट बैंक तुलाराम चौक शाखा जबलपुर के चालन क्रमांक–021632575/44 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है ।

2. आवेदक को ग्वारीघाट मुख्य मार्ग से प्रश्नाधीन स्थल तक वर्तमान 12 मीटर चौडे राजस्व मार्ग का उन्नयन कर 18 मीटर चौड़ीकरण स्वयं के व्यय पर करना होगा ।
3. रेल्वे की सीमा से 30 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आवेदक को रेल्वे विभाग से पृथक से अनापत्ति प्राप्त करना होगा ।
4. नगर निगम को स्थानांतरण होने तक आवेदक को विद्युत व्यवस्था, जल प्रदाय व्यवस्था, जलमल निकासी की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी ।
5. आवेदित भूमि पर स्थित वृक्षो को यथावत रखना होगा ।
6. आवासीय विकास अनुज्ञा देते समय मार्ग से प्रभावित प्रश्नाधीन भूमि पर वर्तमान में कोई विकास अनुज्ञा नहीं दी जाये । मार्ग के संबधित भूमि का उपांतरण तभी मान्य होगा जब पुनर्विलोकित विकास योजना में उक्त मार्ग के भाग का विलोपन कर दिया जायेगा तथा इस भूमि पर आवासीय विकास प्रस्तावित किया जायेगा ।
7. अतः उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस के मुदगल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग